रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1179]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2012/ज्येष्ठ 31, 1934
No. 1179]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2012/JYAISTHA 31, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2012

का.आ. 1408(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2534 (अ), तारीख 11 नवंबर,2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है,) की सारणी के स्तंभ (2) के नीचे फेज - 1 के सामने शहरों/नगरों/क्षेत्रों के रूप में वर्णित ग्रेटर मुंबई क्षेत्र की नगर परिषद्, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कोलकाता मेट्रोपोलिटन क्षेत्र, चेन्नई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में अंकीय पता प्रणाली के माध्यम से कूटबद्ध रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण या पुन: प्रसारण करने की तारीख को 30 जून 2012 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 2012 करने का विनिश्चय किया है ;

अत: , अब, केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2534 (अ), तारीख 11 नवंबर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, उस सारणी के स्तंभ (1) के नीचे फेज -1 के सामने स्तंभ (4) के नीचे आने वाली प्रविष्टियों में, "30 जून,2012," अंकों, और शब्द के स्थान पर " 31 अक्तूबर, 2012" अंक, और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 9/5/2011-बी.पी.एण्ड एल. (भाग)]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2012

S.O. 1408(E).— Whereas the Central Government, on being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, has decided to extend the date of transmission and re-transmission of programmes of any channel in an encrypted form through a digital addressable system in Municipal Council of Greater Mumbai area, National Capital Territory of Delhi, Kolkata Metropolitan area and Chennai Metropolitan area, as being cities/towns/areas mentioned against Phase-I, under column (2) of the Table to the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, number S.O. 2534(E), dated the 11th November, 2011 (herein referred to as the said notification), from the 30th June, 2012 to 31st October, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, number S.O. 2534(E), dated the 11th November, 2011, namely:—

In the said notification, in the Table, in the entries under column (4) occurring against Phase-I under column (1) of that Table, for the figures, letters and word "30th June, 2012", the figures, letters and word "31st October, 2012" shall be substituted.

[F. No. 9/5/2011-BP&L (Pt.)]

SUPRIYA SAHU, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.